राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट-- परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. ताराचन्द्र 2 कृष्णलाल 3 बलवीर पि0 रामेश्वरलाल उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।

4. मनी 5. लिछमा पुत्रिया रामेश्वरलाल उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 126 / 130 के खसरा न0 319 / 1 की 3.6940हैक्ट व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 131 / 135 के खसरा न0 8 / 1 की 5.5910हैक्ट , खसरा न0 298 / 3.8960हैक्ट व 321 / 1 की 2.8590हैक्ट कुल 12.3460हैक्ट भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिस उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है जिसे प्रतिवादी संख्या 4, 5 ने स्वीकार कर लिया है एवं राजीनामा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 126 / 130 की 3.6940हैक्ट व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 131 / 135 की 12.3460हैक्ट भूमि जो रामेश्वरलाल उर्फ रामू के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है रामेश्वरलाल उर्फ रामु का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन करने हेतु 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-- परलीका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

ज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

नवान :–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 ताराचन्द्र 2 कृष्णलाल 3 बलवीर पि0 रामेश्वरलाल उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।

4. मनी 5. लिछमा पुत्रिया रामेश्वरलाल उर्फ रामू जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक– 17.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 126/130 की 3.6940हैक्ट व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 131/135 की 12.3460हैक्ट भूमि जो रामेश्वरलाल उर्फ रामू के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है रामेश्वरलाल उर्फ रामु का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट– परलीका